छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/06/2022

क्रमांक/65/04/योजना/बीओसी/2022/121 :– "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित **"निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना"** में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 53 दिनांक 23.05.2017 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :–

(क) योजना का प्रावधान :–

1. योजना का नाम "**निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना" होगा।**
2. योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लागू योजना खेलो इण्डिया योजना के अंतर्गत चिन्हित खेल जैसे – ऐथलेटिक, कबड्डी, खोखो, फुटबाल, बॉलीबॉल, हेण्डबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, अंतर्गत स्वीकृत/मान्यता प्राप्त समस्त खेलों में जिला/संभाग/राज्य /राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार प्रदाय किया जावेगा –
   - (i) जिला स्तर पर राशि रूपये–1,000/–
   - (ii) संभाग स्तर पर राशि रूपये–2,000/–
   - (iii) राज्य स्तर पर राशि रूपये–5,000/–
   - (iv) राष्ट्रीय स्तर पर राशि रूपये–50,000/–
3. योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ख) योजना हेतु पात्रता :–

1. योजना के तहत् प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे को लाभ की पात्रता होगी।
2. योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को देय होगा, जिनकी उत्कृष्टता खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो।

निरंतर.............2

(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :–

1. योजना के तहत् आवेदन केवल ऑनलाईन आवेदक स्वयं/च्वाईस सेंटर/संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।
2. योजनांतर्गत उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज –
   - 3.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति।
   - 3.2 हितग्राही के पुत्र/पुत्री के आधार कार्ड की प्रति।
   - 3.3 खेल विभाग द्वारा जारी उत्कृष्टता प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति।
   - 3.4 बैंक पास बुक की प्रति।

टीप :– ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) स्वीकृति का अधिकार :–

पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

(ङ.) भुगतान की प्रक्रिया :–

योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजनांतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदक/आवेदिका के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित किया जावेगा।

(च) विसंगति का निराकरण :–

योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कोई विसंगति होने की स्थिति में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां0 क्रमांक/65/04/योजना/बीओसी/2022/2245-2258 **अटल नगर, दिनांक** 09/06/2022
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्री जी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।

निरंतर................3

3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुकत छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
9. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 23/05/17

कमांक 53 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हिग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है:–

निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लागू योजना खेलों इण्डिया योजना के अंतर्गत चिन्हित खेल जैसे– एथलेटिक, कबड्डी, खोखो, फुटबाल, बालीवॉल, हेण्डबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी में जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार प्रदाय किया जावेगा–

(i) जिला स्तर पर राशि रूपये–1,000/–

(ii) संभाग स्तर पर राशि रूपये–2,000/–

(iii) राज्य स्तर पर राशि रूपये–5,000/–

(iv) राष्ट्रीय स्तर पर राशि रूपये–50,000/–

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) योजना के तहत् प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे को लाभ की पात्रता होगी।

(ii) योजना का लाभ उन्ही बच्चों को देय होगा, जिनकी उत्कृष्टता खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया–

आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को On-line जमा किए जायेंगे।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी को होगा।

(य) विसंगति का निराकरण–

इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

23/5/2017

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

पृ०क्र० / 1859–867 नया रायपुर, दिनांक 23/05/17

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. माननीय अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ०ग०)
6. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ०ग०)
7. एनआइसी शाखा, की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें
8. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

23/5/2017

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर